दिनांक 04.07.12 को प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग की अध्यक्षता में श्रीकृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मुजफ्फरपुर के कार्यकलापों की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही ।

प्रधान सचिव द्वारा श्रीकृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मुजफ्फरपुर की समीक्षा की गयी । प्रधान सचिव द्वारा अश्वस्त किया गया कि श्रीकृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मुजफ्फरपुर को Centre of Excellence बनाने के लिए सरकार से जो भी सहायता चाहिए उसे पूरा करने के लिए विभाग तत्पर है। कार्य योजना को तीन हिस्सों में बाटा जाय, लघु कालीन (Short Term), मध्यावधि (Medium Term) एवं दीर्घकालीन (Long Term) ।

I.T. Manager
कृपया
इसे Website
पर डाल दें।
बिजेन्द्र प्रसाद
27.7.2012

2. प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि अस्पताल/महाविद्यालय की व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए अधीक्षक की अध्यक्षता में एक Apex Body का गठन किया जाए -

(क) प्राचार्य, श्रीकृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल - विशेष आमंत्रित
(ख) अधीक्षक, श्रीकृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल - संयोजक
मुजफ्फरपुर ।
(ग) सभी विभागाध्यक्ष
(घ) डा0 डी0 के0 रमन, राज्य स्वा0 समिति।
(ड.) मेट्रोन
(च) अस्पताल प्रबंधक

यह एपेक्स बॉडी अस्पताल के प्रबंधन में सुधार लाने के उपाय करेगी ताकि अस्पताल द्वारा मरीजों की बेहतर चिकित्सा सुविधा हो सके एवं संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सके । एपेक्स बॉडी माह में कम से कम एक बार बैठक करेगी एवं अन्य बिन्दुओं के अलावा निम्नांकित बिन्दुओं पर विचार करेगी:-

(i) अस्पताल में उपलब्ध वर्त्तमान सुविधा का किस प्रकार बेहतर उपयोग किया जा सकता है ।
(ii) अस्पताल को और उत्कृष्ट बनाने के लिये क्या-क्या उपाय किया जा सकता है ।
(iii) एम्स, नई दिल्ली में लागू प्रोटोकोल को यहॉ भी लागू करना ।
(iv) चिकित्सकों द्वारा लिखित चिकित्सीय पूर्जा के ऑडिट (Prescription Audit) की समीक्षा ।
(v) अस्पताल में मुफ्त दवा/ जीवन रक्षक दवा की उपलब्धता सुनिश्चित करना ।
(vi) अस्पताल में हुई मृत्यु की समीक्षा (Mortality Review). करना ।
(vii) विभाग से क्या संसाधन की आवश्यकता है के बारे में आकलन करना ।
(viii) अस्पताल आकस्मिकी में सुरक्षा की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के संबंध में समीक्षा करना ।
(ix) आकस्मिकी में मरीज के साथ दो परिजनों को अंदर जाने के संबंध में व्यवस्था को सुनिश्चित करना ।
(x) अस्पतालों में सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगवाना, ताकि अस्पताल प्रबंधन में उसकी मद्द ली जा सके ।
(xi) गैस पाईपलाईन ऑपरेशन थियेटर एवं वार्डो में कार्यरत करवाना ।

एपेक्स बॉडी की बैठक की कार्यवाही विभाग को भेजी जाय।

(अनुपलान-प्राचार्य/अधीक्षक एस0के0एम0सी0एच0, मुजफ्फरपुर)

3. प्राचार्य/अधीक्षक द्वारा जानकरी दी गयी की श्रीकृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मुजफ्फरपुर का परिसर 170 एकड़ का है जिसमें 75% चाहरिवादी का कार्य

पूर्ण हो चुका है । शेष 25% बचे कार्य को पूरा किया जाना है । प्रशासन की मदद की आवश्यकता है । प्रधान सचिव द्वारा जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर से बात की गई । चाहरदिवारी निर्माण हेतु आवश्यक सहायोग उपलब्ध कराने हेतु कहा गया । प्राचार्य / अधीक्षक जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर से इस संबंध में समन्वय कर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे ।

प्रधान सचिव द्वारा निर्देश दिया गया कि प्रचार्य एवं अधीक्षक कैम्पस में जरूर रहे । जानकारी दी गयी कि अधीक्षक आवास का निर्माण प्रगति में है । प्राचार्य आवास के जीर्णोद्धार की आवश्यकता है । प्राथमिकता के आधार पर जीर्णोद्धार कराने का निर्देश प्रधान सचिव द्वारा दी गयी ।

अधीक्षक द्वारा बताय गया कि अस्पताल के भवनों के निर्माण के प्राक्कलन लेने हेतु कार्यपालक अभियन्ता भवन निर्माण एवं आवास विभाग को अनेको बार अनुरोध किया गया । लेकिन भवन निर्माण विभाग से अभी तक प्राक्कलन प्राप्त नहीं कराया गया है ।

इस संबंध में प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ आधारभूत संरचना विकास निगम से शीध्र अभियन्ताओं की टीम मास्टर प्लान बनाने हेतु श्रीकृष्ण चिकित्सा महाविधालय अस्पताल में भेजी जाय ।

(अनुपलान- प्रबंध निदेशक, आधारभूत संरचना विकास निगम / प्राचार्य/अधीक्षक एस0के0एम0सी0एच0, मुजफ्फरपुर)

4. प्रधान सचिव द्वारा श्रीकृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मुजफ्फरपुर में दवा आपूर्ति के संबंध में जानकारी प्राप्त की गयी । अधीक्षक द्वारा बताया गया कि आवश्यक दवाओं का दर निर्धारण एवं एजेन्सी का निर्धारण राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा तय किया जाता है और उसी दर पर एजेन्सी से दवा का क्रय अस्पताल द्वारा किया जाता है । राज्य स्वास्थ्य समिति के पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि लगभग 300 जेनरिक दवाओं की सूची राज्य स्वास्थ्य समिति के पदाधिकारी द्वारा बनायी गयी है । यह कार्य एक समिति द्वारा किया जाता है, जिसमें अधीक्षक, श्रीकृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मुजफ्फरपुर भी रहते है । अधीक्षक द्वारा बताया गया कि आवश्यक दवाओं के संबंध में विभागाध्यक्षों से भी दवाओं की सूची प्राप्त की जाती है । दवाओं के क्रय हेतु गठित समिति में प्राचार्य को भी रखने का निदेश दिया गया । दवाओं के प्रोक्यूरमेंट के संबंध में एक प्रतिवेदन प्रधान सचिव को उपलब्ध कराने का निदेश अधीक्षक को दिया गया ।

प्रधान सचिव द्वारा अधीक्षक को यह भी निदेश दिया गया कि रोगियो को सरकार की नीति के अनुसार दवाओं की मुफ्त आपूर्ति सुनिश्चित हो । इसके लिए इंभेंटरी मैनेजमेंट का ध्यान रखा जाना आवश्यक है । अतएव दवाओं का औसत मासिक खपत का आकलन पूर्व में ही कर लिया जाय और भंडार में दवा की उपलब्धता तथा इसके क्रय एवं आपूर्ति में लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए समय से कार्यादिश निर्गत किया जाय ताकि रोगियों को दवाओं की आपूर्ति में किसी भी स्थिति में प्रभावित न हो ।

प्रधान सचिव द्वारा दवा के **प्रोक्यूरमेंट हेतु एक नोडल पदाधिकारी** नामित करने हेतु निदेश दिया गया, जो सभी विभागाध्यक्ष के साथ बैठक कर पूरे वर्ष की दवाओं के खपत की सूची नाम एवं मात्रा के साथ एक विशेष समय सीमा के अन्तर्गत उपलब्ध करा दें ।

प्रधान सचिव द्वारा दवा क्रय में न्यूनतम निविदादाता द्वारा ससमय दवा आपूर्ति नहीं करने में सक्षम नहीं होने के कारण ऐसी व्यवस्था अपनाने का निदेश दिया गया कि एल-1 की दर पर ही कार्यहित में एल-2 एवं एल-3 को भी दवा आपूर्ति हेतु आदेश दिया जा सके ताकि किसी एक कम्पनी का दवा आपूर्ति में एकाधिकार नहीं रहे ।

(अनुपलान-राज्य स्वास्थ्य समिति/अधीक्षक एस0के0एम0सी0एच, मुजफ्फरपुर)

4. AES , JE को देखते हुए अत्याधुनिक माइक्रोबाइलॉजिकल लैब तैयार किया जाय। प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि Microbiology विभाग के अन्तर्गत Virology lab बनाने हेतु AIIMS एवं दूसरे राज्य के Virology lab का निरीक्षण विभागाध्यक्ष/अन्य चिकित्सक से कराये । ताकि दूसरे राज्यों या एम्स की तर्ज पर बिहार में Virology lab बनाया जा सके । इससे AES, JE की जॉच कराना भी संभव हो सकेगा । सरकार से जो भी मदद चाहिए, प्रस्ताव बनाकर प्रचार्य/अधीक्षक भेजे । चिकित्सको को अगर राज्य से बाहर की यात्रा हेतु प्राचार्य/अधीक्षक विभाग से अनुमति प्राप्त कर लेंगे । यदि अलग से भवन बनाने की आवश्यकता हो तो तत्संबंधी प्रस्ताव भोजा जाय ।

(अनुपलान-प्राचार्य/अधीक्षक, एस0के0एम0सी0एच0, मुजफ्फुरपुर)

5. अधीक्षक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार द्वारा ट्रॉमा सेन्टर स्वीकृत है, जिसे शीध्र निर्माण हेतु पहल की आवश्यकता है, क्योकि आय दिन सड़क दुर्घटना होने के कारण काफी संख्या में दुर्घटनाग्रस्त मरीज अस्पताल में आते है ।

प्रधान सचिव द्वारा राज्य स्वास्थ्य समिति को निदेश दिया गया कि बिहार में बनने वाले सभी नौ ट्रामा सेन्टरों को शीध्र बनवाने के संबंध में कार्रवाई की जाय ।

(अनुपलान-राज्य स्वास्थ्य समिति)

6. श्रीकृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर में नर्सो की व्यवस्था के संबंध में मेट्रोन द्वारा बताया गया कि कुछ नर्सो को काम नहीं आता है ।प्रधान सचिव द्वारा मेट्रोन को निदेश दिया गया कि इन्हे कार्य सिखाया जाय । काम नहीं करने वालो नर्सो पर कार्रवाई की जाय । कार्रवाई के बाद भी उनके कार्य में सुधार नहीं होता है तो उसे सेवा से हटाने की कार्रवाई की जाय। कोई भी नर्स तबतक अपनी डियूटी नहीं छोड़ेगी जबतक दूसरी पाली की नर्स कार्यभार ग्रहण नहीं कर लेती है। डियूटी पर कार्यरत सभी नर्स ड्रेस पर अपना नेम प्लेट अवश्य लगायेंगी। प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि मेट्रोन नर्सो के कार्यकलापों के प्रगति के बारे में महीना में एक बार बैठक अवश्य करें । साथ ही मेट्रौन वार्ड में रखे शिकायत पुस्तिका में अंकित शिकायत / सुझाव पर कार्रवाई अवश्य करें ।

(अनुपलान-अधीक्षक/मेट्रोन, एस0के0एम0सी0एच0, मुजफ्फरपुर)

7. प्रधान सचिव दृवारा निदेश दिया गया कि वार्ड में सभी वरीय चिकित्सकों के राउन्ड का समय निर्धारित हो और उसे सभी सुगोचर स्थान पर दीवार लेखन अथवा बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाए ताकि सभी को इसकी जानकारी रहे । साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि अस्पताल में ऑपरेशन थियेटर की व्यवस्था दुरूस्त हो । यदि और ऑपरेशन थियेटर बनाने की आवश्यकता हो तो उसके लिए प्रस्ताव भेजा जाय ।

प्रधान सचिव द्वारा निर्देश दिया गया कि यूनिट/वार्ड में कार्यरत चिकित्सक /नर्स द्वारा वरीय चिकित्सक को जब कॉल पर बुलाया जाय तो संबंधित कॉल-बुक में यह प्रविष्टी की जाय कि कितने बजे कॉल किया गया एवं कितने बजे चिकित्सक उपस्थित हुए तथा मरीज को देखने के बाद कब यूनिट/वार्ड छोड़े, तत्संबंधी रिकॉर्ड मेन्टेन किया जाय।

(अनुपलान-अधीक्षक, एस0के0एम0सी0एच0, मुजफ्फरपुर)

8. श्रीकृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर में एक मोनिटरिंग समिति गठित करने का निदेश दिया गया जो अस्पताल की दैनन्दिनी व्यवस्था पर नजर रखेगी । जिसमें स्वास्थ्य प्रबंधक के साथ-साथ और कौन लोग रहेंगे यह अधीक्षक, श्रीकृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मुजफ्फरपुर द्वारा तय किया जायेगा । इस समिति की बैठक प्रति माह की जाए और इसकी कार्यवाही प्रधान सचिव को भेजी जायेगी । साथ ही बैठक में लिए गए निर्णय का अनुपालन / अनुश्रवण अवश्य किया जाए ।

(अनुपलान-अधीक्षक, एस0के0एम0सी0एच0, मुजफ्फरपुर)

9. श्रीकृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मुजफ्फरपुर में मरीजों को पैथोलॉजिक एवं रेडियोलॉजिकल सुविधा निःशुल्क प्रदान की जाती है केवल सी0टी0 स्कैन हेतु पैसा लगता है । प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि रोगियों को रेडियोलॉजी एवं पैथोलॉजीकल सभी जॉच अस्पताल में उपलब्ध जॉच केन्द्र में कराया जाय । रेडियोलॉजी एवं पैथोलॉजीकल जॉच हेतु रोगियों को बाहर नहीं भेजा जाय ।

(अनुपलान-अधीक्षक, एस0के0एम0सी0एच0, मुजफ्फरपुर)

10. अधीक्षक द्वारा बताया गया कि श्रीकृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मुजफ्फरपुर में पारा मेडिकल कर्मियों की नितान्त कमी है । प्रधान सचिव द्वारा निदेशक प्रमुख को निदेश दिया गया कि पारा मेडिकल कर्मियों के रिक्त पदों का रोस्टर क्लीयरेंस कराकर कर्मचारी चयन आयोग को नियुक्ति हेतु अधियाचना भेजा जाए । जबतक कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी नहीं कर ली जाती है तबतक एक समिति बनाकर पारा मेडिकल कर्मियों को संविदा पर रखने की कार्रवाई की जाए । कर्मचारी चयन आयोग से शीध्र नियुक्ति की कार्रवाई पूरी करने हेतु अनुरोध किया जाए ।

निदेशक प्रमुख द्वारा बताया गया कि शल्य-कक्ष सहायक, प्रयोगशाला टेकनिशियन एवं एक्स-रे टेकनिशियन के पद पर संविदा पर नियोजन हेतु राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा कार्रवाई की जा रही है । प्रधान सचिव द्वारा राज्य स्वास्थ्य समिति को शीघ्र कार्रवाई करने का निदेश दिया गया ।

(अनुपलान- राज्य स्वास्थ्य समिति/निदेश प्रमुख)

11 अधीक्षक द्वारा बताया गया कि ट्रॉली मैन, सुरक्षागार्ड एवं साफ-सफाई आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखा गया है । प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि यदि आउटसोर्स पर रखे गए साफ-सफाई सुरक्षा गार्ड एवं ट्रालीमैन की सेवा संतोषजनक नहीं है तो उन्हें बदल दे । साथ ही सुरक्षा गार्ड में भूतपूर्व सैनिक को रखा जाय । साफ-सफाई का कार्य संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर कम्पनी के विरूद्ध दंड का भी प्रावधान होना चाहिए । साफ-सफाई के संबंध में सभी विभागाध्यक्ष/यूनिट प्रभारी से प्रतिवेदन मॉगा जाए और उनके प्रतिवेदन के आधार पर ही कम्पनी को भुगतान किया जाए । स्वास्थ्य प्रबंधक टीम बनाकर साफ-सफाई की स्थिति का आकलन करेंगे । ट्रॉलीमैन के दुर्व्यवहार, रोगियों से अवैध वसूली करने एवं दलाली की शिकायतें प्राप्त होते ही ऐसे दोषी ट्रॉलीमैनों को चिन्हित कर उन्हें कार्य से मुक्त करने की कार्यवाई की जाय ।

प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से हाउसकिपिंग के अन्तर्गत बिजली मिस्त्री, प्लम्बर एवं बढ़ई आदि की व्यवस्था की जा सकती है ताकि छोटे-मोटे कार्यो को अविलम्ब कराया जा सके ।

(अनुपलान-अधीक्षक, एस0के0एम0सी0एच0, मुजफ्फरपुर)

12. रोगियों को दिये जाने वाले भोजन की गुणवता के संबंध में प्रधान सचिव द्वारा पूछे जाने पर बताया गया कि भोजन की गुणवता ठीक रहती है प्रधान सचिव द्वारा अधीक्षक को तैयार भोजन को समय-समय पर औचक रूप से जॉच करने का निदेश दिया गया । रोगियों को भोजन अनिवार्य रूप से थाली मे आपूर्ति करने का निदेश दिया गया । बर्तन (खण्ड वाली थाली) खरीदने हेतु अगर राशि की आवश्यकता हो तो आकलन कर मॉग करे । बर्तन की साफ-सफाई पर भी ध्यान दी जाय । बेसहारा मरीजों का भी अवश्य ध्यान रखा जाय । इन्हें भी थाली में भोजन उपलब्ध करायी जाय ।

(अनुपलान-अधीक्षक, एस0के0एम0सी0एच0, मुजफ्फरपुर)

13. प्रधान सचिव द्वारा श्रीकृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर में केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष के संबंध में निदेश दिया गया कि इसे सक्षम एवं कारगर बनाया जाय । नियंत्रण कक्ष, शिकायत निवारण-सह-पूछ ताछ केंद्र के रूप में कार्य करेंगे। रोगी जिस समय अस्पताल में पहुचे उसी समय से प्रोटोकॉल शुरू हो जानी चाहिए ।

(अनुपलान-अधीक्षक, एस0के0एम0सी0एच0, मुजफ्फरपुर)

14. प्रधान सचिव द्वारा महाविद्यालय एवं अस्पतालो के मुख्य स्थानों पर CCTV कैमरा एवं जहाँ पर मरीज और उसके परिजन इन्तजार करते हो, वहाँ पर LCD TV केबल के साथ लगाने का निदेश दिया गया । इसके अलावा शुद्ध पेयजल के लिए Water cooler, Ro के साथ जगह-जगह पर अधिष्ठापित की जाय । CCTV कैमरा का Monitor प्राचार्य/अधीक्षक के कक्ष में लगा हो, ताकि अस्पताल/महाविद्यालय का Monitoring करना आसान हो सके । CCTV चालू रहे, इसकी पूर्ण जिम्मेवारी प्राचार्य/अधीक्षक की होगी । इसका भुगतान नियमानुसार रोगी कल्याण समिति के मद/कार्यालय मद से करेंगे ।

(अनुपलान-प्राचार्य/अधीक्षक,एस0के0एम0सी0एच0, मुजफ्फरपुर)

15 प्राचार्य द्वारा जानकारी दी गई की वर्ष 2009 में ही एम0सी0आई0 निरीक्षण हेतु शुल्क भेजा गया है, इसके बावजूद एम0सी0आई0 द्वारा अभी तक निरीक्षण नहीं किया गया है । प्रधान सचिव द्वारा विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया ।

(अनुपलान-प्रचार्य, एस0के0एम0सी0एच0, मुजफ्फरपुर)

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई ।

(व्यास जी)
प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग ।

ज्ञापांक- 350 (H.S) पटना, दिनांक- 23-07-2012

प्रतिलिपिः- कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति/ प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य चिकित्सा स्वास्थ्य आधारभूत संरचना विकास निगम/प्राचार्य/अधीक्षक, श्रीकृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मुजफ्फरपुर / मेट्रोन, श्रीकृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(व्यास जी)
प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापांक- 350 (H.S) पटना, दिनांक- 23-07-2012

प्रतिलिपिः- सचिव, प0 क0/अपर सचिव/संयुक्त सचिव (श्री कुमार)/निदेशक प्रमुख/विशेष कार्य पदाधिकारी एवं प्रशाखा-1 एवं प्रशाखा-17 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थ प्रेषित।

(व्यास जी)
प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापांक- 350 (H.S) पटना, दिनांक- 23-07-2012

प्रतिलिपिः- माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग को सूचनर्थ प्रेषित ।

(व्यास जी)
प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग